संख्या-05/2019/4045 ई-2/तेरह-2018-118/2017

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 04 जनवरी,2019

विषय:-किस्की व्हिस्की रेस्टोरेन्ट एण्ड बार 119/8, अशोक कॉसमॉस मॉल सेकेण्ड फ्लोर संजय प्लेस, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-769/आब0सहा0/2018-19, दिनांक 05 दिसम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 29-11-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-159/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/किस्की व्हिस्की/आगरा, दिनांक 22 दिसम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री मनप्रीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जसवन्त सिंह, निवासी-283, महर्षिपुरम् अमर उजाला प्रेस के पीछे, आगरा द्वारा संचालित किस्की व्हिस्की रेस्टोरेन्ट एण्ड बार 119/8, अशोक कॉसमॉस मॉल, सेकेण्ड फ्लोर संजय प्लेस, आगरा को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन एतद्द्वारा इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि उक्त रेस्टोरेन्ट में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त मेटल डिटेक्टर से हैण्डहेल्ड सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों/प्रतिबंधों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गतकिया जाय।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-05/2019/4045(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-159/दस-लाइसेंस-12/एफ0एल0-6-7/बार अनु0/किस्की व्हिस्की/आगरा, दिनांक 22 दिसम्बर, 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

ह0/-

(वेद प्रकाश राय)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।